ISSN: 2347-1611

itivritta

A Multi-disciplinary Peer Reviewed
International Journal of History & Culture

Editor:
C.M. Agrawal

Volume-8 Part-II Winter 2020

ग्राम्य समाज के विकास में स्वयं सहायता समूह के समक्ष आने वाली बाधाएं

डॉ. अनुराधा गुसाई*
डॉ. एम.एस. गुसाई**

सभ्यता के विकास के साथ ही मुनष्य के समाजीकरण की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हुई और इसी प्रक्रिया में विभिन्न चरणों से होते हुए आज हम विकसित एवं विकासशील समाज की बात करते हैं। समाज शब्द का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। सामान्यतः किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे महिला समाज, आर्य समाज, दलित समाज, आदि। किन्तु समाज शब्द का सम्बन्ध मात्र कुछ व्यक्तियों के समूह से नहीं है वरन उन व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों, क्रियाओं तथा व्यक्तिगत जीवन शैली से है। इसीलिए हम एक ही क्षेत्र विशेष में समाज के विभिन्न स्वरूपों को पाते हैं यथा – ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, औद्योगिक समाज, आदिम समाज, परम्परागत समाज आदि। अब यदि हम भारतीय ग्रामीण समाज की बात करें तो

*असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एम.पी.जी. कॉलेज, मसूरी
**असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,एस.जी.आर. पी.जी. कॉलेज, देहरादून

परम्परागत भारतीय समाज आत्मनिर्भर समाज था, किन्तु अंग्रेजी शासनकाल में इसका स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। औद्योगीकरण ने पलायन को तीव्र ही नहीं किया, अपितु ग्रामीण समाज के विकास को भी प्रभावित किया। स्वतंन्त्रता के बाद सरकारों ने इस ओर पुनः ध्यान दिया जिसका माध्यम स्वयं सहायता समूह बने। सामान्यतः जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तथा उनमें पारस्परिक सामाजिक अन्तःक्रिया होती है तो यह एकत्रीकरण समूह कहलाता है। अब यदि हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो यह समूह अन्य सामान्य समूहों से भिन्न है। स्वयं सहायता समूह 7 से 20 लोगों का एक ऐसा समूह है जिसका मूल उद्देश्य अपने ही सदस्यों का सामाजिक–आर्थिक विकास करना है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह की अवधारणा अपनी मदद खुद करना के सिद्धान्त पर आधारित है। यह वह समूह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के हित के विचार से एकत्र होते हैं तथा कुछ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करते हुए परस्पर क्रिया करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह निम्न तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा अपने सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए बनाया गया एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों द्वारा की गयी छोटी–छोटी बचत के माध्यम से समूह के सदस्यों को आजीविका के साधनों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित व उत्साहित करता है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करती हैं–

- समूह निर्माण का सर्वप्रथम व मूल उद्देश्य है निर्धन ग्रामीण वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहन देना ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे स्वयं को निःसहाय महसूस न करें।
- प्रायः हमारे ग्रामीण समुदाय आज भी जातिवाद के कारण पर्याप्त विकास करने में असमर्थ रह जाते हैं। अतः इसी कमी को दूर करने के लिए तथा जातिवाद की भावना से ऊपर उठकर सभी लोगों को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना भी समूह निर्माण का एक प्रमुख उद्देश्य रहता है।

- समूह निर्माण का एक उद्देश्य निर्धन वर्ग के आर्थिक विकास के साथ–साथ उसका सामाजिक विकास करना भी रहा है।
- समूह निर्माण का एक उद्देश्य यह भी है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण जन को सामाजिक गतिशीलता प्रदान कर उसे भी बाह्य समाज से जोड़ा जाये तथा देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में निर्धन ग्रामीण वर्ग की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाये।
- हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तम्भ रहे लघु व कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना भी समूह निर्माण का मूल उद्देश्य रहा है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

अध्ययन क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून का डोईवाला ब्लाक क्षेत्र है जिसका कुल क्षेत्रफल 177.44 वर्ग कि.मी. है। डोईवाला विकासखण्ड में महिला एवं पुरुष साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 43.99 एवं 56 है। इसकी कुल आबादी 168986 है जिसमें से 87936 की आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है।

साहित्य अवलोकन

क्षेत्र सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व स्वयं सहायता समूह से सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन किया गया। खण्ड विकास कार्यालय डोईवाला से प्राप्त एन.आर.एल.एम. द्वारा जारी स्वयं सहायता समूह के गठन सम्बन्धी संक्षिप्त मार्ग निर्देशिका के अध्ययन से स्वयं सहायता समूहों के गठन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुसार समूह गठन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किसी भी ग्रामीण समुदाय में जाकर वहाँ के लोगों को सामुदायिक रूप से एन.आर.एल.एम. के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। आधुनिक दौर में समाज में कई परिवर्तन हुए तथा अब विभिन्न सामाजिक समस्याओं के निवारण पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अजय तन्खा की पुस्तक "बैंकिंग ऑफ सेल्फ हैल्प ग्रुप्स" के अध्ययन से हमें स्वयं सहायता समूह और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के मध्य सह सम्बन्ध को समझने में सहायता मिलती है। इनके अनुसार 1992 में सर्वप्रथम उदयपुर (राजस्थान) में स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा गया था। दिगन्ता दास एवं विपुल बरूहा ने अपने शोध पत्र "माइक्रो फाइनेन्स थ्रू सेल्फ हैल्प ग्रुप्स

: टूल फॉर सोशियो इकोनोमिक डेवलपमेन्ट ऑफ रूरल असम" में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से असम के लखीमपुर एवं धीमाजी जनपद के निर्धन लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया है। ऊमा नारंग ने अपने शोध–पत्र "स्वयं सहायता समूह : भारत में महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी उपाय" में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

अध्ययन उद्देश्य

विभिन्न शोध–पत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्वयं सहायता समूह ने महिला उत्थान, सामाजिक और आर्थिक विकास पर विस्तार से विचार किया है, किन्तु विकास के मार्ग में उसके सम्मुख आने वाली बाधाओं को नजरअंदाज किया गया और इस कारण हमें वांछित परिणाम नहीं मिल पाए। इस शोध–पत्र में हमारा उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सम्मुख आने वाली इन्हीं बाधाओं की विस्तृत विवेचना करना है।

अध्ययन विधि

अध्ययन क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून का ब्लॉक डोईवाला है। इस कारण अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक, नौकरशाही इत्यादि की दखलअंदाजी की संभावना भी अधिक होगी। अतः प्रस्तुत शोध–पत्र में साक्षात्कार विधि द्वारा सीधे उत्तरदाता से सम्पर्क कर अपने शोध सम्बन्धी तथ्य एकत्रित करने का प्रयास किया गया है।

स्वयं सहायता समूह के समक्ष आने वाली बाधाएं

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा ग्रामीण अथवा निम्न आय वर्ग के समुदाय के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा अपनायी गयी थी, अतः यह सीधे–सीधे ग्रामीण जन से जुड़ी थी तथा इसका सीधा सम्बन्ध ग्रामीण समुदाय के लगभग प्रत्येक परिवार से था, इसलिए एक क्षेत्र विशेष में जितने परिवार अथवा समूह में जितने सदस्य थे उतनी ही प्रकार की बाधाएं भी थीं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र सर्वेक्षण के समय हमने पाया कि ये बाधाएं (समस्याएं) केवल ग्रामीण अथवा समूह के सदस्यों की ओर से ही नहीं थीं, वरन् इन बाधाओं के लिए अनेक अन्य कारण भी उत्तरदायी थे। अध्ययन की सुविधा के लिए इन बाधाओं को निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है–

1. सामाजिक बाधाएं
2. आर्थिक बाधाएं
3. प्रशासनिक बाधाएं
4. तात्कालिक बाधाएं

1.सामाजिक बाधाएं

प्रायः ग्रामीण समाज में अशिक्षा, स्वास्थ्य, रीति–रिवाज तथा रूढिवादिता के कारण लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। अतः उक्त सभी तथ्यों के कारण समूह की संकल्पना के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इनका उल्लेख सामाजिक बाधाओं के अन्तर्गत किया गया है।

➢ ग्रामीण सदस्यों का अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित होना भी समूह की प्रोन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा कोई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है तो अशिक्षित होने के कारण सभी सदस्य प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते और चूँकि कोई भी समूह तभी प्रगति कर सकता है जब उसके सभी सदस्य समूह के कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देंगे, किन्तु यहाँ अशिक्षा के कारण कुछ ही सदस्य पूर्णतया प्रशिक्षण ले पाते हैं तथा शेष अधूरे प्रशिक्षण के कारण समूह के कार्यों से दूर होते जाते हैं।

➢ यद्यपि आज महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, किन्तु भारतीय समाज की परम्परागत पुरुष प्रधान संस्कृति भी स्वयं सहायता समूह की संकल्पना के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है। महिलाएं अपनी इच्छा से समूह से जुड़ तो जाती हैं, किन्तु समूह के कार्यों में उनकी भागीदारी कितनी और कैसी होगी यह उनके पति अथवा परिवार के पुरुष सदस्य निर्धारित करते हैं जिसका सीधा प्रभाव समूह की कार्य प्रणाली पर पड़ता है।

➢ लोगों में जागरूकता का अभाव भी ग्रामीण विकास की राह में स्वयं सहायता समूह की संकल्पना के सम्मुख बाधक बनता है। जागरुकता के अभाव में ही लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते। फलतः प्रशिक्षण शिविरों में समूह के सदस्य पूर्ण रुचि से नहीं बैठते।

➢ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा जागरुकता के अभाव में एक तो लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती तथा दूसरे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रवैये के कारण वे बार–बार बीमार पड़ते रहते हैं तथा उचित इलाज के अभाव में वे अधिकांश समय अस्वस्थता की स्थिति में ही रहते हैं। परिणामस्वरूप वे समूह तथा समूह से जुड़े कार्यों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। अतः स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रवैया भी समूह की सफलता में बाधक बनता है।

2.आर्थिक बाधाएं

यद्यपि स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को प्रयोग करने का मूल उद्देश्य ग्रामीण अथवा निम्न आय वाले समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, किन्तु कभी–कभी उक्त अवधारणा के मार्ग में विभिन्न आर्थिक कारक ही बाधक बनते हैं जो निम्नवत् हैं–

• प्रायः क्षेत्र सर्वेक्षण में हमने पाया कि कुछ महिलाएं केवल इसलिए समूह से जुड़ी थीं क्योंकि समूह में ऋण आसानी से मिल जाता है तथा वे समूह की बैठक में केवल पैसे जमा कराने ही आती हैं, उन्हें समूह की बैठक में होने वाले अन्य क्रिया–कलापों से कोई मतलब नहीं होता; इससे कागजों पर तो समूह 10, 12 या 15 सदस्यों का होता है किन्तु वास्तव में वह समूह कुछ ही सदस्यों के कारण चल रहा होता है। परिणामस्वरूप जो सदस्य नियमित रूप से समूह से जुड़े होते हैं वे भी अन्य अनियमित सदस्यों की भाँति समूह के कार्यों में अरुचि दिखाने लगते हैं तथा धीरे–धीरे समूह केवल धन एकत्र करने वाली कमेटी के समान ही बनकर रह जाते हैं।

• कुछ समूहों की मूल समस्या यह थी कि उन्हें एक–दो बार विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण तो दिया गया, किन्तु प्रशिक्षण के पश्चात् उस प्रशिक्षण का लाभ किस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये किया जा सकता है? इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गयी। फलतः प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात् भी समुदाय की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता।

• समूहों के समक्ष आर्थिक विकास हेतु सबसे बड़ी बाधा होती है, पर्याप्त बाजार अथवा उचित विपणन व्यवस्था का उपलब्ध न होना। प्रायः

समूह से जुड़कर उन्हें कच्चे माल के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है तथा इससे भी बड़ी समस्या होती है तैयार माल के भण्डारण तथा विक्रय की, क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण तो दिया जाता है, किन्तु उस उत्पाद के लिए बाजार आदि की कोई जानकारी न दिये जाने के कारण लाभ के स्थान पर हानि होने का भय अधिक रहता है, और न ही समूहों के पास इतना स्थान होता है कि वे कच्चा व तैयार दोनों प्रकार के उत्पादों का भण्डारण कर सकें। इसके अतिरिक्त अधिक समय तक सामान के न बिकने पर उसके खराब होने की भी सम्भावना रहती है, फलतः इस दोहरी हानि के भय से धीरे–धीरे समूह के सदस्य हतोत्साहित होने लगते हैं।

- कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में समूह तो बने थे किन्तु पूर्ण जानकारी न होने के कारण सदस्यों ने न तो अपने समूह का पंजीकरण ही करवाया था और न ही समूह का किसी बैंक में खाता खुलवाया। ऐसी स्थिति में समूह के सदस्यों को ऋण लेने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था; परिणामस्वरूप समूह निर्माण के बाद भी सम्बन्धित क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाता।
- ग्रामीण समुदाय के विकास में समूह द्वारा लिये गये ऋण का उचित उपयोग न होना भी बाधक बनता है। साक्षात्कार के समय यह बात भी सामने आयी कि प्रायः सदस्य समूह के माध्यम से ऋण तो किसी उत्पादक क्रिया–कलाप अथवा किसी रोजगारपरक कार्य के नाम पर लेते हैं, किन्तु उसका प्रयोग किसी अन्य अनुत्पादक कार्य के लिए कर देते हैं; फलतः स्वयं सहायता समूह अपने ग्रामीण विकास के उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाते।
- समूह द्वारा छोटे पैमाने पर तो ऋण फिर भी कुछ प्रयासों के पश्चात् आसानी से मिल जाता है किन्तु यदि कोई स्वरोजगार हेतु किसी लघु उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए ऋण लेना चाहे तो उसे प्रशासन व बैंक की ओर से पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता। फलतः वह हतोत्साहित होने लगता है तथा लघु उद्योग खुलने से पूर्व ही उसके मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं।

2.प्रशासनिक बाधाएं

सामान्यतः हमारे देश में विकास और कल्याणकारी योजनाओं की कभी कमी नहीं रही, विशेषकर ग्रामीण व निम्न आय वर्ग के विकास हेतु, किन्तु फिर भी आज भी हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी से पूर्णतः बाहर

नहीं निकल पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि विकास हेतु बनने वाली योजनाओं का वांछित लोगों तक न पहुँचना। इसकी मुख्य वजह ग्रामीण लोगों का जागरूक न होना तथा अशिक्षित होना है। इसके अतिरिक्त अभी तक प्रस्तुत की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को यदि कारगर तरीके से अमल में लाया जाता तो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र पर्याप्त प्रगति कर सकते थे, लेकिन इसे देश की विडम्बना ही कहेंगे कि जिन लोगों को इन योजनाओं को सफल व कारगर बनाने का जिम्मा सौंपा जाता है उन्हीं के भ्रष्टाचार व लापरवाही के कारण ये योजनाएं अपने लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पातीं। यही स्थिति स्वयं सहायता समूह की संकल्पना को लागू करने में भी पायी गई। ग्रामीण समुदाय के विकास में स्वयं सहायता समूह के समक्ष प्रशासनिक स्तर पर निम्नलिखित बाधाएं पायी गईं–

1. सर्वप्रथम तो अधिकांश ग्रामीण–जन, स्वयं सहायता समूह की अवधारणा के संदर्भ में ही भ्रमित पाये गये। सामान्यतः प्रशासन की ओर से जो अधिकारी अथवा प्रशिक्षु स्वयं सहायता समूह के निर्माण हेतु ग्रामीणों को उत्साहित करने जाते हैं वे समूह से होने वाले लाभ आदि का तो पूर्ण विश्लेषण करते हैं किन्तु वास्तव में स्वयं सहायता समूह का अर्थ व उद्देश्य क्या है ? यह स्पष्ट नहीं करते। फलतः ग्रामीण–जन, जो अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित हैं, स्वयं सहायता समूह निर्माण का वास्तविक अर्थ समझ ही नहीं पाते तथा जब वे (ग्रामीण–जन) ही किसी अन्य को समूह से जुड़ने को कहते हैं तो स्वयं सहायता समूह का अधूरा ही विवरण प्रदान कर पाते हैं। परिणामस्वरूप अन्य ग्रामीण–जन एक–दूसरे की देखा–देखी समूह से तो जुड़ जाते हैं, किन्तु अज्ञानता के कारण वे उक्त योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते। उदाहरणार्थ–:
   - क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रारम्भ में जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से स्वयं सहायता समूह के सन्दर्भ में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो पहले तो कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था और जो समूह से जुड़े थे वे भी इस सन्दर्भ में भ्रमित स्थिति में थे। यहाँ स्वयं सहायता समूह के विषय में भिन्न–भिन्न लोगों के भिन्न–भिन्न विचार थे, जैसे– कुछ लोगों का मानना था कि यह सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई ऋण योजना है अथवा महिलाओं द्वारा चलायी जाने वाली अपंजीकृत कमेटी के समान ही सरकार

की ओर से चलायी जा रही कोई कमेटी है, जिसमें कुछ पैसा निरन्तर जमा कराने पर कुछ समय बाद अधिक पैसा मिल जाता है।

- कुछ समूह तो केवल धन की लेन–देन के उद्देश्य से ही बने थे। ऐसे समूह के सदस्य माह में एक बार निर्धारित दिन में एकत्र होते थे तथा सभी सदस्य अपनी मासिक राशि जमा करके तथा इधर–उधर की वार्तालाप करके चले जाते थे।
- कुछ सदस्यों का समूह के प्रति इतना उदासीन रवैया था कि उन्हें अपने समूह का नाम तक याद नहीं था और जब उनसे पूछा गया कि आप समूह से क्यों जुड़े है? तो कुछ का कहना था कि समूह में आसानी से ऋण मिल जाता है, तो कुछ का कहना था कि हमारे पड़ोसी जुड़े तो हम भी जुड़ गये, जबकि कुछ ग्रामीण ऐसे भी थे जिनका कहना था कि अगर धन अथवा मुफ्त राशन मिल रहा है तो हमें भी समूह से जोड़ दीजिए।
- इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का यह भी मानना था कि यह योजना गाँव के कुछ विशेष लोगों के लिए ही है। उनका यह कहना भी था कि "गाँव में कुछ समूह हैं किन्तु वे लोग हमें समूह से नहीं जोड़ते" तथा वे हमीं से, उनको भी समूह से जोड़ने का आग्रह करने लगे कि "कृपया हमें भी समूह से जोड़ लीजिए"। अतः स्वयं सहायता समूह की अवधारणा से सम्बन्धित अधूरा ज्ञान ही सर्वप्रथम संकल्पना की सफलता में बाधक बनता है।

2. कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो प्रारम्भ में तो केवल धन अथवा आसान ऋण के उद्देश्य से ही समूह से जुड़ी थीं किन्तु साथ ही वे अवसर मिलने पर कुछ उत्पादक कार्य करने की भी इच्छुक थीं, किन्तु उनकी शिकायत थी कि हमें कोई कुछ बताता ही नहीं अर्थात् हमें न तो सरकार की ओर से कोई प्रशिक्षण दिया गया और न ही कभी ऐसा कोई व्यक्ति आया जो हमें इस सन्दर्भ में चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी ही दे सके। वास्तव में इन सदस्यों की मूल समस्या यह थी कि हमें समूह से तो जोड़ दिया गया है, लेकिन सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी भी विकास योजना की जानकारी हम तक नहीं पहुँचाई जाती।

3. कभी–कभी प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन तो किया जाता है किन्तु इसकी कोई पूर्व सूचना समूह के सदस्यों को नहीं दी जाती है। इसके

अतिरिक्त तत्काल दी गई सूचना सभी सदस्यों तक समय पर नहीं पहुँच पाती। फलतः समूह के सभी सदस्य प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं कर पाते।

4. प्रशासन व समूह के मध्य कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बाहर से बुलाये गये प्रशिक्षक प्रायः प्रशिक्षण देते समय जन- सामान्य की भाषा के स्थान पर औपचारिक तकनीकी भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सदस्यों को कुछ समझ में आया या नहीं और चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर सदस्य अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित होते हैं अतः ऐसे में उचित प्रशिक्षण दिये जाने पर भी सदस्य उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते।

4.तात्कालिक बाधाएं

किसी भी योजना की सफलता पूर्णतः सरकार अथवा प्रशासन पर ही निर्भर नहीं करती। इसके लिए जिनके द्वारा योजनाएं बनायी व चलायी जाती हैं तथा जिनके लिए योजनाएं बनायी जाती हैं अर्थात् सरकार (प्रशासन) व सामान्य जन, दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। यद्यपि योजनाओं की असफलता के लिए अक्सर सरकार अथवा प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, किन्तु वास्तव में इन असफलताओं के लिए पूर्णतः प्रशासन ही जिम्मेदार नहीं होता वरन् अनेक स्थान पर तो सामान्य जन तथा उनकी तात्कालिक परिस्थितियाँ भी उत्तरदायी होती हैं। प्रायः अक्सर सामान्य जन की ओर से अनेक ऐसी तात्कालिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं जिनके कारण प्रशासन द्वारा प्रयास किये जाने पर भी योजनाएं असफल हो जाती हैं। ग्रामीण स्तर पर अनेक ऐसी ही तात्कालिक बाधाएं प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलीं जो निम्नवत् हैं–

- सामान्यतः अधिकांश सदस्यों द्वारा इस प्रकार की कार्यशाला में कोई विशेष रुचि नहीं ली जाती। वे अपनी स्वेच्छा से कार्यशाला में प्रतिभाग करती थीं। चूंकि कार्यशाला के आयोजन का तथा बाहर से बुलाये गये प्रत्येक प्रशिक्षक के प्रशिक्षण–सत्र का समय पूर्व निर्धारित था, किन्तु इस बात से सदस्यों को कोई मतलब नहीं होता। अतः पहले तो समूह के सदस्य कार्यशाला में आते ही नहीं हैं और यदि कोई सदस्य आता भी है तो वह अपनी इच्छा से तथा अपनी सुविधानुसार ही कार्यशाला में आता था। यहीं नहीं, वह अपनी इच्छा से ही कार्यशाला समाप्त होने से पूर्व बीच सत्र में ही उठकर चला भी

जाता था। अर्थात् समूह के सदस्यों का न तो आने का समय निर्धारित था और न जाने का। अतः ऐसे में कार्यशाला के आयोजक तथा बाहर से आये प्रशिक्षक दोनों के ही समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और वह भी तब जब कि आयोजकों द्वारा ग्रामीण–जन के समय के महत्व को समझते हुए ही प्रशिक्षण–सत्र को अल्पावधि (अधिकतम् दो घंटे) का ही रखा जाता था।

- प्रशिक्षण की पूर्व सूचना देने पर भी कुछ केन्द्रों पर मात्र दो–तीन ही सदस्य पहुँच पाते हैं। अब ऐसे में आयोजक तथा प्रशिक्षक समूह इन्तजार ही करते रह जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं (बिजली, सड़क व भवन आदि) का अभाव होना भी बाधक बनता है। उदाहरणार्थ– कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे थे जहाँ बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। अतः ऐसे में प्रशिक्षक अपने विद्युत उपकरणों (लेपटॉप, प्रोजेक्टर) का उपयोग करने में असमर्थ रहें, परिणामस्वरूप प्रशिक्षकों को अपनी बात मौखिक समझानी पड़ी जिससे प्रशिक्षक तो अपनी बात पूरी कर लेते थे किन्तु सदस्य उनकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाते थे।
- चूंकि अधिकांशतः प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन समूहों के बैठक स्थल अथवा ग्राम पंचायत भवन में ही होता था, किन्तु जब कभी पंचायत भवन अत्यधिक दूर होता अथवा उपलब्ध न हो पाता था तो ऐसे में शिविर का आयोजन निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा विद्यालय में किया जाता है किन्तु कुछ केन्द्रों पर इन भवनों की स्थिति ऐसी नहीं होती कि प्रशिक्षण–सत्र को आयोजक पूर्ण करवा सकें।
- इसके अतिरिक्त जब ग्रामीण विकास में समूहों के समक्ष आने वाली बाधाओं के सन्दर्भ में विकासखण्ड कार्यालय के अधिकारियों तथा उनके अधीन समूह निर्माण करने वाले अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि केवल प्रशिक्षण सत्र में ही नहीं वरन् समूहों की सामान्य बैठकों में भी निम्नांकित अनेक ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि जो समूह के मूल उद्देश्य में बाधक बनते हैं–

क) उन्होंने बताया कि चूँकि ब्लॉक डोईवाला का अधिकांश क्षेत्र कृषि–क्षेत्र है जहाँ मुख्यतः गन्ने व गेहूँ की खेती होती है, अतः यहाँ के अधिकतर ग्रामीण स्वयं की भूमि पर कृषि करते हैं तथा शेष भूमिहीन ग्रामीण इन्हीं

खेतों में खेतिहर श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं तथा सबसे बड़ी बात यह थी कि इन श्रमिकों में केवल पुरुष ही नहीं वरन् महिलाएं भी सम्मिलित थीं अतः इनका अधिकांश समय खेतों में ही व्यतीत होता है, ऐसे में यदि कोई समूह से जुड़ता है तो वह समूह की नियमित बैठक में शामिल होने की अधिक आवश्यकता ही नहीं समझते और यदि जब कभी ये बैठक में शामिल होते भी हैं तो अपने कार्य व समयानुसार या तो बैठक का आधा समय निकल जाने के बाद आते हैं और यदि निर्धारित समय पर आते हैं तो बैठक पूर्ण होने से पूर्व ही चले जाते हैं। परिणामस्वरूप एक तो ये सदस्य विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी से वंचित रह जाते हैं, दूसरा इनके इस व्यवहार से बैठक की कार्य योजना भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त इनके इस व्यवहार का समूह के अन्य सदस्यों पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता।

ख) सामान्यतः प्रत्येक योजना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होती किन्तु इतना अवश्य है कि भले ही किसी योजना का एक व्यक्ति के लिए महत्त्व न हो लेकिन यह योजना उसके जीवन से जुड़े किसी न किसी व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती है। अब यहाँ समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस बात को ग्रामीण लोग नहीं समझते और जब समूह के माध्यम से लोगों तक इन योजनाओं को पहुँचाने का प्रयास किया जाता है तब समूह के सदस्य उनको लाभ की बात होती है तो शान्तिपूर्वक सुन लेते हैं किन्तु यदि उन्हें लगता है कि उक्त योजना हमारे लिए नहीं है तो वे पहले तो बैठक में आते ही नहीं है और यदि आ जाते हैं तो शीघ्र ही बैठक से चले जाते हैं अथवा बैठक में उपस्थित अपने आसपास बैठे सदस्यों से बातें करने लगते हैं जिससे बैठक में बाधा उत्पन्न होने लगती है।

ग) अधिकारियों का कहना था कि अक्सर समूह की बैठक में समूह के सदस्यों के स्थान पर उनके परिजन शामिल होते हैं और कभी–कभी तो ये परिजन या तो अत्यधिक बुजुर्ग होते हैं अथवा इतने छोटे होते हैं कि उन्हें समूह से सम्बन्धित बातों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती और न ही ये बैठक में दी जाने वाली योजनाओं सम्बन्धी जानकारी को समझने में समर्थ होते हैं, परिणामस्वरूप विकास की गति में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता।